श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी कृष्णा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी राधेश्याम जाति अरोडा निवासी 9 एमएल लटठावाली श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद , मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता जय देवी पत्नी रामचन्द्र जाति अरोडा निवासी 9 एमएल लटठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.09.2020 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 11. 08.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11. 09.2020 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

2021/289

प्रार्थी को गवाहान हंसराज पुत्र थारूराम एवं भगवान दास पुत्र रामचन्द्र ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रजनीश चौहान ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय